DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email-Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part--2Paper-3Date-06-08-2020
Mo.No--9234999361

भारतीय संविधान में वर्णित समानता के अधिकार का वर्णन करें।

समानता या समता का अधिकार प्रजातंत्रिक शासन प्रणाली की बुनियाद है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद *14* से लेकर *18* तक में इसका वर्णन किया गया है।इस अधिकार के द्वारा सभी व्यक्तियों को वैधानिक, नागरिक तथा सामाजिक समता प्रदान की गई है, अर्थात संविधान द्वारा सभी लोगों को कानून के सामने समानता राज्यान्तर्गत नौकरियों में समान अवसर एवं सामाजिक समानता प्रदान की गई है।इसके अन्तर्गत भारत में धर्म जाति वर्ण जन्म कुल लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।प्रो.श्री निवासन का कहना है कि इस अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को राज्य द्वारा प्रशासनिक एवं वैधानिक क्षेत्रों में किए जाने वाले भेद भाव व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना है तथा सामाजिक असमानता की बुराई को कम करना है।समता या समानता के अधिकार के अन्तर्गत निम्न पाँच प्रकार के अधिकार आते हैं---

*1.*कानून के समक्ष समानता----संविधान के अनुच्छेद*14* के अन्तर्गत कहा गया है कि भारत के राज्य में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की समान समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।भारत के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान रखें गए हैं।फ्रांस की तरह तरह भारत में सधारण लोगों तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए अलग अलग कानूनी व्यवस्था नहीं है।हमारे देश में ब्रिटिश शासन प्रणाली की बनियाद विचारधारा विधि के शासन को व्यावहारिक रूप दिया गया है।जेनिगस का कहना है कि इसका तात्पर्य समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए।

2. सामाजिक समता----संविधान के अनुच्छेद *15* द्वारा भारत के नागरिकों के लिए सामाजिक समता प्रदान की गई है और कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म मूलवंश, जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। कानून द्वारा यह निश्चित किया गया है कि दुकानों होटलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे कुआँ तलाबों स्नान गृहों सड़कों आदि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि यदि राज्य द्वारा नागरिकों के बीच अनुचित भेदभाव किया जाता है तो न्यायपालिका सम्बद्ध कानून को अवैध घोषित कर सकती है जैसा कि चम्पकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य नामक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय में मद्रास सरकार के इस निर्णय को अवैध घोषित कर दिया जिसके द्वारा ब्राह्मण जाति के लोगों पर शैक्षणिक केन्द्र में दाखिल होने पर विशेष प्रतिबन्ध लगाए गए थे।

इसके दो अपवाद हैं---

1. राज्य औरतों तथा बच्चों के लिए विशेष प्रबन्ध की व्यवस्था कर सकता है।संविधान के अनुच्छेद *15 (3)* में यह उल्लेख है कि सार्वजनिक स्थानों में जाने के समान अधिकारों के अन्तर्गत स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को प्राप्त है और उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

2. राज्य सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गो अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबन्ध बना सकता है संविधान के अनुच्छेद *16 (3)-(4)*में यह उल्लेख है कि कुछ राज्यों का स्थानीय क्षेत्रों में नौकरी संबंधी अवासी योग्यता निर्धारित करने एंव अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है।

*3.*सेवा प्राप्ति में अवसर की समानता-----संविधान की धारा *16* के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि लोक सेवाओं के विषय में सभी नागरिक को न्युक्ति पाने का समान अवसर प्राप्त है।इसमें दुहराया गया कि राज्य अपने अधीन पदों पर न्युक्ति के सम्बन्ध में समान अवसर उपलब्ध होगा।

संविधान के इस प्रावधान के निम्न अपवाद है----

१.राज्य कुछ विशिष्ट पदों के लिए निवास योग्यता निर्धारित कर सकता है।

२.राज्य पिछड़े हुए वर्गो तथा औरतों के लिए सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रख सकता है।

३.संविधान की इस धारा की परिधि से किसी भी धार्मिक संस्था के प्रबन्ध को बाहर रखा गया।

*3.*अस्पृश्यता की समाप्ति

*4.*उपाधियों की समाप्ति।

आगे, धन्यवाद।

2020-08-06
From vivo Notes

Scanned with CamScanner